छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा)

शास्त्री चौक, रायपुर (छ0ग0) – 492001

दूरभाष नंबर :– 0771–4918927

Email:- office.rera.cg@gov.in Website:-https://rera.cgstate.gov.in/

क्रमांक–01/रेरा/2020/482 रायपुर, दिनाँक 17/03/2020

दिशा–निर्देश/सूचना

कोरोना वायरस (Covid-19) के फैलाव को रोकने संबंधी भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखते हुये, 31 मार्च, 2020 तक की अवधि हेतु छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1. प्राधिकरण के समक्ष उनके द्वारा प्रस्तुत शिकायतों से संबंधित आवेदक/अनावेदक को यह सलाह दी जाती है कि यदि उनके द्वारा अधिवक्ता नियुक्त किया गया हो, तो अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हो तथा न्यायालय के आदेश पर ही स्वयं उपस्थित हो। आवेदक/अनावेदक व उनके अधिवक्ता केवल लिखित तर्क ही प्रस्तुत करें।
2. आवेदनकर्ताओं को यह सलाह दी जाती है कि प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत रजिस्ट्रेशन संबंधी आवेदनों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने हेतु प्राधिकरण के हेल्पलाईन नंबर–0771–4918927 पर दूरभाष के माध्यम से जानकारी प्राप्त करे। इसी प्रकार अन्य शिकायतकर्ता भी अपनी शिकायत के संबंध में जानकारी हेल्पलाईन नंबर–0771–4918927 पर प्राप्त करे तथा प्राधिकरण द्वारा बुलाये जाने पर स्वयं उपस्थित होवे।
3. प्रमोटर्स/सी.ए. को यह सलाह दी जाती है कि त्रैमासिक अद्यतन/ऑनलाईन अपडेशन संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु सहायक प्रोग्रामर श्री सूर्यकांत श्रीवास्तव से दूरभाष नंबर–8109432001 पर संपर्क करे।
4. उपरोक्तानुसार जारी दिशा–निर्देशों का प्रिंट इलेक्ट्रानिक व सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावे।
5. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण उपरोक्तानुसार जारी निर्देशों के पालन हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।

(मान. अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. अनुप्रिया मिश्रा)
17/3/2020
रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण
रायपुर.